संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1957

का0नि0आ0 1148- संसद् सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए निम्नलिखित नियम, जो राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित रूप से अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है:-

संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957*
(13 दिसम्बर, 2010 तक यथा संशोधित)

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम -** (1) ये नियम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 कहलायेंगे।

(2) ये जून, 1954 के प्रथम दिन को प्रवृत्त समझे जायेंगे, परन्तु इन नियमों के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले तय किया गया कोई दावा इन नियमों में निहित किसी उपबंध के आधार पर पुन: उठाया नहीं जाएगा:

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक प्रकरण से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) संशोधित रूप में (1955 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक पदाधिकारी" से लोक सभा के सचिव द्वारा अधिकृत लोक सभा सचिवालय का कोई पदाधिकारी या राज्य सभा के सचिव द्वारा अधिकृत राज्य सभा सचिवालय का कोई पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे, यथास्थित लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते संबंधी बिलों (बीजकों) पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्ति हो;

(ग) "दिन" से अर्धरात्रि से आंरभ होकर चौबीस धंटे की अवधि अभिप्रेत है;

---

* दिनांक 6 अप्रैल, 1957 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-एक, खण्ड 3 में प्रकाशित।

(घ) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न कोई प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "संयुक्त समिति" से धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

यात्रा करने के मार्ग

3. (एक) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित रेल भाड़ा निकटतम मार्ग से, अर्थात् वह मार्ग जिससे सदस्य अपने गन्तव्य स्थान पर सबसे जल्दी पहुंच सके, गिना जाएगा।

जब एक से अधिक मार्ग समान रूप से छोटे हों, तो भाड़े का हिसाब सब से सस्ते मार्ग से लगाया जाएगा।

(दो) जहां निकटतम मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो, वहां उससे अगले सबसे जल्दी पहुंचने के मार्ग से अतिरिक्त भाड़ा दिया जा सकता है।

[1] [(तीन) जहां सदस्य के लिए निकटतम मार्ग से यात्रा करना सुविधाजनक न हो, वहां वह किसी अन्य अधिक सुविधाजनक मार्ग से यात्रा कर सकता है और ऐसे मामले में रेल भाड़े का हिसाब उसी मार्ग से लगाया जाएगा जिससे उसने वस्तुत: यात्रा की हो:

परन्तु जहां निकटतम मार्ग के भाड़े और सदस्य ने जिस मार्ग से वस्तुत: यात्रा की हो, उसके भाड़े में साठ रूपए से अधिक अन्तर हो, वहां सदस्य को देय भाड़े का अन्तर साठ रुपए तक सीमित होगा।]

[2][(चार) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित 'द्वतीय दर्जे का भाड़ा' उस गाड़ी का विचार किए बिना जिसमें सदस्य वस्तुत: यात्रा करता है 'मेल ट्रेन' से यात्रा के लिए निर्धारित दरों के हिसाब से लगाया जाएगा।

[3]3क. [3क](1) सदस्य किसी एयरलाइन्स में वायुयान द्वारा की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

---

1 दिनांक 25 जनवरी, 1958 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, में प्रकाशित का0 नि0 आ0 342 द्वारा अन्त:स्थापित।

2 दिनांक 24 नवम्बर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 1285 द्वारा अन्त:स्थापित।

(1क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में या धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख), और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट वायुयान के किराए की गणना सीधे मार्ग से की जाएगी:

परन्तु जहां एक से अधिक मार्ग हैं वहां वायुयान के किराए की गणना उस मार्ग से की जाएगी जिससे सदस्य अपने गंतव्य स्थान पर अधिक शीघ्रता से पहुंच सकता है।]

(2) जहां सीधा मार्ग अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है या किसी विशिष्ट दिन पर कोई सेवा उपलब्ध नहीं है और सदस्य ने अगले सस्ते से सस्ते मार्ग द्वारा यात्रा की है, वहां उस मार्ग से विमान किराया अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) जहां किसी सदस्य के लिए सीधे मार्ग से यात्रा करना सुविधापूर्ण नहीं है, वह अधिक सुविधापूर्ण किसी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है और ऐसी दशा में उसे निम्नलिखित के बराबर रकम अनुज्ञात की जाएगी -

(एक) उस मार्ग से विमान किराया जिससे उसने वास्तविक रूप के यात्रा की है; और

(दो) सीधे मार्ग द्वारा विमान किराया राशि और [3ख](दो सौ पचास रुपए); जो भी कम हो;

[3ग][परन्तु कोई संसद सदस्य निकटतम मार्ग से संसक्त उड़ान उपलब्ध न होने पर उसी दिन उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असुविधा से बचने के लिए किसी अन्य मार्ग से यात्रा करने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति ने अनुज्ञा दी हो।]

(4) जहां कोई सदस्य चक्रदार वायु-एवं-रेल मार्ग द्वारा यात्रा करता है वहां उसे वायु-एवं-रेल द्वारा की गई वास्तविक यात्रा के लिए धारा 4 के अधीन यात्रा भत्ता या सीधे मार्ग द्वारा विमान का यात्रा-भत्ता जो भी कम हो, अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु जहां की गई यात्रा का विमान यात्रा भाग सीधे मार्ग द्वारा यात्रा की कुल दूरी के आधे से कम है, वहां विमान द्वारा की गई वास्तविक यात्रा के लिए विमान का यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा और बाकी यात्रा

---

[3] दिनांक 2 जुलाई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 338 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[3क] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 702 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[3ख] दिनांक 25 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 1091 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3ग] दिनांक 31 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 539 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

के लिए प्रारम्भिक स्थान से गंतव्य स्थान तक सीधे मार्ग द्वारा कुल रेल-मील-भत्ता निकाल कर और उससे 'प्रारम्भिक' स्थान से जहां तक सदस्य ने विमान द्वारा यात्रा की है उस स्थान तक रेल-मील-भत्ते की कटौती करके, रेल द्वारा यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा।

[घ][(5) जहां यात्रा -

(1) किसी संसद सदस्य द्वारा धारा 4, धारा 5 या धारा 6ग के अधीन विमान द्वारा की जाती है,

(2) संसद सदस्य के पति या पत्नी द्वारा धारा [ङ]{6ख} के अधीन विमान द्वारा की जाती है, या

(3) संसद् सदस्य के परिचर द्वारा धारा 6घ के अधीन विमान द्वारा की जाती है, वहां वह संसद सदस्य इस प्रकार की यात्रा के विमान के टिकट का प्रतिपर्ण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां प्रतिपर्ण नष्ट हो गया है या कहीं खो गया है वहां वह सदस्य [च]{संबद्ध एयरलाइंस} से विमान यात्रा किए जाने का प्रमाण-पत्र पेश करेगा।

किसी दिन के लिये समनुज्ञेय दैनिक भत्ते का अवधारण करने के प्रयोजन से उसके भागों को गिनने की रीति

4. सदस्य को कर्तव्य के निमित्त निवास के प्रत्येक दिन के लिए आगमन या प्रस्थान के समय पर विचार किये बिना दैनिक भत्ता समनुज्ञेय होगा।

[छ][4क. प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए सड़क द्वारा की गई यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए [ज]{सोलह रुपये}प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा।

लेकिन संसद सदस्य के दिल्ली स्थित समान्य निवास स्थान से दिल्ली विमानपत्तन तक और दिल्ली विमानपत्तन से दिल्ली स्थित अपने सामान्य निवास स्थान की यात्रा के संबंध में न्यूयतम राशि 120 रु. होगी।]

[घ] दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 769 (ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[ङ] 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 702 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित- दिनांक 7-6-2000 से प्रभावी ।

[च] 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 702 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[छ] दिनांक 25 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 752 (ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[ज] 13 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 968 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

जहां सदस्य की पूरी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए नि:शुल्क आने-जाने की व्यवस्था की गई हो वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

5. सदस्य द्वारा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निधि के खर्च पर दी गई सवारी से की गई किसी यात्रा या उसके किसी भाग के संबंध में धारा 4 के अधीन किसी यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया जायेगा परन्तु जहां ऐसी यात्रा की अवधि किसी दिन छ: घंटे से कम न हो वहां सदस्य केवल 5रुपये 25 पैसे (पांच रुपये और पच्चीस पैसे) की दर से भत्ता लेने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी रेलवे से की गई यात्रा पर लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी- 5.25 रुपये की राशि सदस्य को इस प्रकार की यात्रा या उसके भागों में होने वाले आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए दी जाती है और जब वह नि:शुल्क दी गई सवारी से यात्रा करता है तो अतिरिक्त विमान या स्टीमर भाड़े या सड़क मील भाड़े के बदले में दी जाती है। यह भत्ता [4]{दो हजार} रुपये प्रतिदिन के दैनिक भत्ते के जो उसे कर्त्तव्य के निमित्त निवास के प्रतिदिन के लिए दिया जाता है वैकल्पिक रूप में नहीं दिया जाता।

वह स्थान, जिससे सदस्य अपनी यात्रा आरम्भ करता है या जिस स्थान पर वह लौटता है उसका प्रायिक निवास-स्थान नहीं है वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

6. जहां संसद सदस्य के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने अथवा सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के प्रयोजन से अपने सामान्य निवास-स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में यात्रा करता है या ऐसे स्थान को लौटता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा या अपने सामान्य निवास-स्थान से या वहां तक की यात्रा के लिए, जो भी कम हो, यात्रा भत्ता, ले सकेगा।

[5][6क. जहां सदस्य संसद के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान जहां ऐसी सत्र या बैठक हो उस स्थान से सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के प्रयोजन से किसी अन्य स्थान तक यात्रा करता है, तो वह-

(क) ऐसे अन्य स्थान की ऐसी यात्रा के संबंध में और वापसी यात्रा के लिए धारा 4 में निर्दिष्ट दर से यात्रा भत्ता, और

---

4 13 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 968 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

5 दिनांक 15 सितम्बर, 1961 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1179 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ख) अन्य स्थान पर कर्तव्य के निमित्त निवास की किसी अवधि में प्रत्येक दिन के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।]

[6][* * * * * *]

अधिनियम के अंतर्गत दैनिक और यात्रा भत्तों के भुगतान का विनियमन करने वाले सामान्य नियम

8. प्रत्येक सदस्य निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने के बाद यथाशीध्र नियंत्रक पदाधिकारी को अपना सामान्य निवास-स्थान बतायेगा और इस प्रकार बताये गये सामान्य निवास-स्थान के बाद में किसी परिवर्तन की सूचना नियंत्रक पदाधिकारी को प्रपत्र 'क' में यथाशीघ्र दी जायेगी।

9. इस बात की परवाह न करते हुए कि सदस्य ने संसद के सदन में अपने उस स्थान को ग्रहण नहीं किया है जिनके लिए वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है, उसे सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के प्रयोजन से की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता लेने का हक होगा।

10. (1) संसद के सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान भारत में किसी स्थान पर जाने के लिए 15 दिन या इससे अधिक काल की अनुपस्थिति के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। सदस्य की अनुपस्थिति की अवधि अर्धरात्रि को आरम्भ और समाप्त होने वाले दिनों के हिसाब से गिनी जायेगी।

स्पष्टीकरण: यदि सदस्य 15वें दिन चाहे मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात् लौट आये तो उसकी अनुपस्थिति 15 दिन से कम समझी जाएगी।

(2) धारा 5 और इस नियम के उप-नियम (1) में आने वाले 'सत्र के दौरान' या 'समिति की बैठक' शब्दों में सत्र के प्रारम्भ से तुरन्त पहले दिन और सत्र की समाप्ति के तुरन्त बाद के तीन दिन अथवा समिति के कार्य के प्रारम्भ से तुरन्त पहले के दो दिन और कार्य के संपन्न होने के तुरन्त बाद के दो दिन की अवधि सम्मिलित नहीं है।

[7][परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार भारत के किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक किसी भी वर्ष में की गई [7क]{चौंतीस} एकल विमान यात्राओं पर यह नियम लागू नहीं होंगे।]

---

[6] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा लोप किया गया।

[7ख][* * * * *]

12. यदि कोई सदस्य उस स्थान से जहां संसद के सदन का सत्र अथवा समिति की बैठक हो रही हो या सत्र या समिति की बैठक के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने और दूसरे सत्र या बैठक के प्रारम्भ होने के बीच के अन्तराल के प्रारम्भ होने से पहले चला जाता है ओर ऐसा अन्तराल सात दिन की अवधि से अधिक न हो तो उस स्थान से उसकी अनुपस्थिति/यथास्थिति, सदन के सत्र अथवा समिति की बैठक के दौरान मध्यवर्ती अनुपस्थिति समझी जाएगी और तदनुसार धारा 5 के उपबन्ध लागू होंगे।

13. किसी ऐसे सदस्य को, जो संसद के सदन के सत्र अथवा समिति की बैठक के स्थान से ऐसे सत्र या बैठक के जारी रहने के दौरान चला जाता है और अपने सामान्य निवास-स्थान को अंतिम रूप से लौटने से पहले 'यथास्थिति' सत्र या बैठक कार्य समाप्त होने के बाद सत्र या बैठक के स्थान पर लौट आता है, सामान्य निवास-स्थान को वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता मिल सकेगा।

14. किसी ऐसे सदस्य को जो उस स्थान पर जहां संसद के सदन का सत्र अथवा समिति की बैठक होती है, सत्र या बैठक के स्थगित होने के बारे में जाने बिना पहुंच जाता है, यात्रा भत्ता मिल सकने के बारे में सब मामलों का, जिसमें ऐसे सदस्य के मामले भी सम्मिलित हैं जो सत्र या बैठक के अचानक स्थगित हो जाने के बाद पहुंचते हैं, निर्धारण यथास्थिति लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

15. जहां किसी सदस्य के लिए भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि के खर्च पर नि:शुल्क भोजन और निवास की व्यवस्था की जाये, तो उसे धारा 3 के अधीन जितना दैनिक भत्ता मिल सकता है उसका केवल आधा लेने का हक होगा। यदि सदस्य के लिए केवल भोजन या निवास की नि:शुल्क व्यवस्था हो, तो उसे इस धारा के अधीन जितना दैनिक भत्ता मिल सकता है, उस की तीन-चौथाई लेने का हक होगा।

16. (1) जब किसी सदस्य का [8][पहचान-पत्र एवं रेल का पास अथवा पति/पत्नी का रेल पास] खो जाये और दूसरे पहचान-पत्र या रेल पास दिये जाने की आवश्यकता हो तो वह उन परिस्थितियों को बताते हुए जिनमें वह

---

[7] दिनांक 21-05-1987 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 520 (ङ) द्वारा अन्त:स्थापित किया गया ।

[7क] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 745(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 15-09-2006 से प्रभावी ।

[7ख] नियम 11 का दिनांक 31 अक्टूबर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1280 द्वारा लोप किया गया ।

[8] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित ।

खोया हो, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति को आवेदन पत्र देगा और यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को समाधान हो जाये, तो सदस्य को दूसरा [9][पहचान-पत्र एवं रेल पास अथवा पति/पत्नी का रेल पास] दे दिया जाएगा।

(2) जब [10][कोई सदस्य/पति या पत्नी अपने पहचान-पत्र एवं रेल पास के बिना रेल द्वारा यात्रा करता है] तो उस पर ऐसी यात्रा के संबंध में साधारण रेलवे नियम लागू होंगे।

[11] [16क. (1) जहां कोई सदस्य अपना स्टीमर पास या अपनी पत्नी या अपने पति का स्टीमर पास खो देता है और उसकी दूसरी प्रति उसे जारी करने की आवश्यकता होती है वहां वह यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति, को जिन पतिस्थितियों में पास खो गया था उन्हें स्पष्ट करते हुए आवेदन करेगा और यदि, यथास्थिति/अध्यक्ष या सभापति को समाधान हो जाए, तो सदस्य को दूसरा स्टीमर पास या उसकी पत्नी या उसके पति का स्टीमर पास जारी किया जाएगा।

(2) जहां कोई सदस्य या उसकी पत्नी या उसका पति स्टीमर द्वारा स्टीमर पास के बिना यात्रा करता/करती है वहां वह ऐसी यात्रा के बारे में साधारण नियमों द्वारा शासित होगा/होगी]

17. (1) जब कभी कोई सदस्य धारा 6 के अधीन दिये गये रेलवे पास का प्रयोग करके यात्रा करे, तो यात्रा आरम्भ करने से पहले वह प्रपत्र 'ख' में दिये गये सदस्य के रेल यात्रा का प्रपत्र भरेगा और यात्रा की समाप्ति पर स्टेशन पर गाड़ी से उतर कर उस प्रपत्र को रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को दे देगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदस्य को एक पुस्तिका दी जायेगी जिसमें मशीन से संख्यांकित प्रपत्र 'ख' की पच्चीस प्रतियां होंगी।

(2) जब कभी कोई सदस्य रेलवे में स्थान आरक्षित कराना चाहे, तो वह प्रपत्र 'ग' में दिया गया प्रपत्र भरेगा।

*[12][17क. जब कभी किसी सदस्य की पति या पत्नी [13][धारा 6ख] के अधीन उपबंधित रेल पास का उपयोग करके कोई यात्रा करता है या करती है तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व प्रपत्र ख-1 में यथा

---

[9] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[11] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 द्वारा अन्तःस्थापित ।

*[12] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा अन्तःस्थापित 21.8.1969 से प्रभावी ।

[13] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ)

उपवर्णित रेल यात्रा प्रारूप भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र यात्रा सामाप्त होने पर रेलगाड़ी से उतरने के बाद रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंप दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सदस्य के पति या पत्नी के उपयोग के लिए प्रपत्र ख-I की मशीन से संख्यांकित प्रतियां प्रार्थना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएंगी।]

[14][17ख. जब कभी कोई व्यक्ति सदस्य के साथ उस समय यात्रा करता है, जब वह [15][धारा 6ख] के अधीन दिए गए रेल पास का उपयोग करके रेल यात्रा करता है, तब सदस्य, प्रपत्र ख-II में यथा-उपवर्णित रेल यात्रा प्रपत्र, यात्रा के प्रारम्भ से पूर्व से भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र, उस स्टेशन पर जहां रेल से उतरता है, यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक पुस्तिका जिसमें पत्र ख-II की मशीन से संख्यांकित पच्चीस प्रतियां होंगी, प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी।]

[16][17ग.] जब कभी कोई सदस्य, धारा 6क के अधीन प्रदत्त स्टीमर पास का उपयोग करके यात्रा करता है, यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वह प्रपत्र ख-III में यथा-उपवर्णित सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा और जलयात्रा की समाप्ति का प्रपत्र को जलयान के मास्टर को देगा। इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र ख-III की मशीन से संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सम्बद्ध सदस्य को प्रदत्त की जाएगी।

17घ. जब कभी किसी सदस्य की पत्नी/पति धारा 6क के अधीन उपबन्धित स्टीमर पास का प्रयोग करके यात्रा करती है या करता है तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व प्रपत्र ख-IV में यथा-उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ सदस्य की पत्नी या उसके पति द्वारा उपयोग के लिए प्रपत्र ख-IV की मशीन से संख्यांकित प्रतियों की पुस्तिका, प्रार्थना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएगी।

17ङ. धारा 6क के अधीन उपबन्धित स्टीमर पास का उपयोग करके यात्रा करते समय किसी सदस्य के साथ जब कभी कोई व्यक्ति हो, तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व प्रपत्र ख-V में यथा-उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा। जलयात्रा की समाप्ति पर इस प्रकार से भरा गया प्रपत्र जलयान के मास्टर को दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र ख-V की मशीन में संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सदस्य को दी जाएगी।

[16क][17च.(1) यदि कोई सदस्य इस प्रकार शारीरिक रूप से असमर्थ है कि उसे वायुयान द्वारा यात्रा में परिचारी की आवश्यकता है तो वह, यथास्थिति राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को दिए जाने

द्वारा अन्तःस्थापित।

[14] दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा अन्तःस्थापित।

[15] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[16] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[16क] दिनांक 2 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 611(ङ)

वाले आवेदन के साथ डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों के पैनल से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा, जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि असमर्थता स्थायी स्वरूप की है या अस्थायी स्वरूप की।

(2) यदि असमर्थता अस्थायी स्वरूप की है तो ऐसी असमर्थता की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी और प्रारंभ में वह छह माह से अधिक की नही होगी।

(3) यदि सदस्य यह समळाता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भी उस विमान द्वारा यात्रा के लिए परिचारी की आवश्यकता है, तो वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट चिकित्सकों के पैनल के समक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, जिसे उपनियम (2) के उपबंध लागू होंगे, पुन:उपस्थित होगा।]

[17][18.(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार की किसी वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के बीजक का भुगतान सदस्य को उसके द्वारा यात्रा किये जाने की तारीख से सात दिन से अधिक पहले नहीं किया जा सकता :

परन्तु यह कि यदि सदस्य बाद में उस तारीख को यात्रा न करे तो यात्रा भत्ते की ली गई अग्रिम राशि तुरन्त लौटा दी जाएगी।

(2) दैनिक भत्ते का बीजक केवल बीजक के प्रस्तुत किये जाने की तारीख तक के लिए देय होता है।]

[18][18क. जहां यात्रा या उसका कोई भाग किसी आकस्मिक स्टीमर द्वारा किया जाये तो सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए स्टीमर में सब से ऊंचेदर्जे के एक सही तीन बटे पांच भाड़े (भोजन के बिना) के बराबर राशि मिल सकेगी। जहां यात्रा या उसका कोई भाग समुद्र या नदी द्वारा वाष्प नौका (स्टीम लांच) या किसी अन्य जहाज, स्टीमर के अतिरिक्त से की जाए, तो सदस्य को इस प्रकार की गई प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए [19](0.32 पैसे प्रति किलोमीटर) की दर से भाड़ा दिया जा सकेगा।]

[19क][18ख.(1) प्रत्येक सदस्य जैसे ही वह संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित होता है, नामनिर्देशिती की विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए प्रारूप ड. में नामनिर्देशन संसद के संबंधित सदन के

द्वारा अन्तःस्थापित।

[17] दिनांक 24 जनवरी, 1958 के भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 342 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[18] दिनांक 24 नवम्बर, 1959 के भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1286 द्वारा अन्तःस्थापित।

[19] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[19क] दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239 (ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

सचिवालय को देगा जो संदस्य की मृत्यु होने की दशा में उस सदस्य की अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय और उसकी मृत्यु के समय तक संदत्त वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशिती संदाय को दावा करने के पूर्व उस सदन के सचिवालय को, जिसके लिए मृत सदस्य निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ था, प्रारूप 'च' में एक बन्धपत्र देगा।]

अधिनियम के अधीन भत्तों का दावा करने के प्रयोजन के लिये सदस्य द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रारूप

19. जो सदस्य इन नियमों के अधीन किसी यात्रा या अन्य भत्तों का दावा करे उसे निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र द्वारा अपने दावे की पुष्टि करनी होगी, अर्थात्

[20][मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस बिल में उल्लिखित अवधि के लिए मैंने किसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए दावा नही किया है।]

[21][* * * * *]

23. (1) जब कभी कोई सरकार को देय धन जैसे कि मकान का किराया, टेलीफोन का देय धन आदि सदस्य की ओर बाकी बताया जाये और सम्बन्धित प्राधिकारी से उसके समर्थन में समुचित दावे या बीजक (बिल) प्राप्त हो जायें, तो ऐसे धन के बराबर की राशि सदस्य के लिए अथवा उसकी ओर से तैयार किये जाने वाले अगले वेतन या यात्रा और दैनिक भत्तों के बीजकों में से काट ली जायेगी और शेष राशि उसे दे दी जायेगी।

(2) साधारणतया सदस्य की ओर बाकी कोई गैर-सरकारी देय धन उसके वेतन या भत्तों से वसूल नहीं किया जायेगा परन्तु जहां ऐसा देय धन उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसे प्रदान की गई कुछ सेवाओं के कारण हो जैसे कि जब वह किसी संसदीय समिति के साथ दौरे पर हो और इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय के पदधिकारियों की प्रार्थना पर अर्ध-सरकारी संस्थाओं या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके कहने पर की गई हो और जहां ऐसे सदस्य ने बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी इस प्रकार के देय धन का भुगतान न किया हो, तो उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ते के बीजकों से की जा सकेगी।

---

[20] दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[21] नियम 20, 21 और 22 का दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383 (ङ) द्वारा लोप किया गया ।

24. यदि इन नियमों के निर्वाचन का कोई प्रश्न उठे तो वह प्रश्न संयुक्त समिति को सौंपा जायेगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(एम0 14-एम0 एम0/56)

प्रपत्र 'क'

(नियम 8 देखिए)

मैंने ..... कारण (यहां कारण लिखिए) दिनांक .....से अपना प्रायिक निवास स्थान.....बदल दिया है।

आगे से मुझे ..... से यात्रा भत्ता दिया जाए।

हस्ताक्षर .....

विभाजन संख्या.....

दिनांक.....

[22][प्रपत्र 'ख']

[देखिए नियम 17(1)]

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र

_____

पुस्तक पर्ण

मै.....से

.....स्टेशन तक

.....श्रेणी* में

यात्रा कर रहा हूँ [23][और मैंने अपनी यात्रा

दिनांक .....20..... को एक व्यक्ति के

साथ/अकेले पहले दर्जे में प्रारम्भ की है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की

संख्या.....है।

विभाजन सं0___ सदस्य, लोक सभा

राज्य सभा

(सदस्य के रखने के वास्ते)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र

_____

पर्ण

मै.....से

.....स्टेशन होते हुए

.....श्रेणी* में

यात्रा कर रहा हूँ [23][और मैंने अपनी यात्रा

दिनांक .....20..... को

एक व्यक्ति के

साथ/अकेले पहले दर्जे में प्रारम्भ की है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की

संख्या..... है।

विभाजन सं0___ सदस्य, लोक सभा

राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंपने के वास्ते)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।

---

[22] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित- 21 अगस्त, 1969 से प्रभावी ।

[23] दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[24][प्रपत्र 'ख'-I]

[देखिए नियम 17 (क)]

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

सदस्य के पति या पत्नी की रेल यात्रा का प्रपत्र

पुस्तक पर्ण

मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री..... .....(प्रायिक निवास स्थान) से दिल्ली/ नई दिल्ली तक और दिल्ली/नई दिल्ली से .....(प्रायिक निवास स्थान) तक.....के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के ..... सत्र की बाबत .....की यात्रा आरम्भ करके श्रेणी* में यात्रा कर रही/रहा है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या .....है।

मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या .....है।

विभाजन सं. .....सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(सदस्य द्वारा प्रतिधारित करने और उपयोग करने के बाद लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

सदस्य के पति या पत्नी की रेल यात्रा का प्रपत्र

पर्ण

मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री..... .....(प्रायिक निवास स्थान) से दिल्ली/ नई दिल्ली तक और दिल्ली/नई दिल्ली से .....(प्रायिक निवास स्थान) तक..... के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के ..... सत्र की बाबत .....की यात्रा आरम्भ करके श्रेणी* में यात्रा कर रही/रहा है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या .....है।

मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या .....है।

विभाजन सं. .....सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंपने के लिए)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।

---

[24] दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा अंतःस्थापित- 21 अगस्त, 1969 से प्रभावी ।

[25][प्रपत्र 'ख'-II]

[देखिए नियम 17 (ख)]

संख्या.....

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

राज्य सभा सचिवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले

एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल

<u>यात्रा प्रपत्र</u>

पुस्तक पर्ण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....ने, जो मेरे साथ है, पहली श्रेणी में.....(स्टेशन) से..... (स्टेशन) तक, वाया.....यात्रा की है जिसने ..... 20.....को यात्रा प्रारम्भ की है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या .....है।

विभाजन सं.....सदस्य, <u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

(सदस्य द्वारा प्रतिधारित करने और उपयोग करने के बाद लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

संख्या.....

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

राज्य सभा सचिवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले

एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल

<u>यात्रा प्रपत्र</u>

पर्ण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....ने, जो मेरे साथ है, पहली श्रेणी में.....(स्टेशन) से..... (स्टेशन)तक, वाया.....यात्रा की है जिसने .....20.....को यात्रा प्रारम्भ की है।

मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या .....है।

विभाजन सं.....सदस्य, <u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंपने के लिए)

[25] दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा अंतःस्थापित ।

[26][प्रपत्र 'ख'-III]

[देखिए नियम 17ग]

संख्या.....

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

राज्य सभा सचिवालय

संसस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

_____

पुस्तक पर्ण

मैं.....श्रेणी (बिना आहार) में ..... (पत्तन) से ..... (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ और मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ .....20.....को किया है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या .....है।

विभाजन सं0.....सदस्य, <u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

(सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् लोक/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

संख्या.....

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

राज्य सभा सचिवालय

संदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

_____

पर्ण

मैं.....श्रेणी (बिना आहार) में ..... (पत्तन) से ..... (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ और मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ .....20.....को किया है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या .....है।

विभाजन सं0.....सदस्य, <u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

(जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

[26] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[27][प्रपत्र 'ख'-IV]

[देखिए नियम 17घ]

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पुस्तक पर्ण

मेरी पत्नी श्रीमती/मेरा पति श्री .... श्रेणी (बिना आहार) में ..... (सदस्य का प्रायिक निवास स्थान/भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से ..... (भारत की भूमि में निकटतम पत्तन/सदस्य का प्रायिक निवास स्थान) को ..... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोक सभा/राज्य सभा के ..... सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या..... है। मेरी पत्नी/मेरे पति के स्टीमर पास की संख्या ..... है।

विभाजन सं0.....सदस्य, लोक सभा
राज्यसभा

(सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पर्ण

मेरी पत्नी श्रीमती/मेरा पति श्री ..... श्रेणी (बिना आहार) में ..... (सदस्य का प्रायिक निवास स्थान/भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से ..... (भारत की भूमि में निकटतम पत्तन/सदस्य का प्रायिक निवास स्थान) को ..... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोक सभा/राज्य सभा के ..... सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या..... है। मेरी पत्नी/मेरे पति के स्टीमर पास की संख्या ..... है।

विभाजन सं0.....सदस्य, लोक सभा
राज्यसभा

(जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

[27] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[28][प्रपत्र 'ख'-V]

[देखिए नियम (17ङ)]

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा सचिवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले
एक व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पुस्तक पर्ण

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....., जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/रही है, उसने ..... (पत्तन) से ..... (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में .....20..... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या.....है।

विभाजन सं0.....सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

संख्या.....

लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा सचिवालय

संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक
व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा प्रपत्र

पर्ण

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....., जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/रही है, उसने ..... (पत्तन) से ..... (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में .....20..... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है।

मेरे स्टीमर पास की संख्या.....है।

विभाजन सं0.....सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

[28] दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

[प्रपत्र 'ग']

[देखिए नियम 17(2)]

<u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

सेवा में,

स्टेशन सुपरिटेंडेंट/मास्टर

.....

कृपया दिनांक ..... को गाड़ी संख्या..... से मेरी .....से ..... तक यात्रा के लिए ..... दर्जे का एक बर्थ आरक्षित कर दीजिए।

हस्ताक्षर.....

सदस्य, <u>लोक सभा</u>

राज्य सभा

पहचान-पत्र एवं रेल पास संख्या.....

विभाजन संख्या.....

पता .....

.....

.....

[29][प्रपत्र 'घ']

प्रस्थान और वापसी यात्रा का प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस बिल में उल्लिखित अवधि के लिए मैंने किसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सदस्य, लोक सभा

पहचान पत्र संख्या.....

---

[29] दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

*[प्रपत्र 'ड.']

[देखिए नियम 18ख (1)]

नामनिर्देशन प्रारूप

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

मैं, ... सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करता हूँ जो मेरे परिवार का सदस्य है/के सदस्य हैं और उसे/उन्हें लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय द्वारा मुझे शोध्य तथा असंदत्त वेतन/**अतिरिक्त सुविधा भत्ता/यात्रा/दैनिक भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे और कोई अन्य भत्ते तथा दावे मेरी मृत्यु की दशा में, प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ।

मूल नाम-निर्देशिती			आनुकल्पिक नाम-निर्देशिती		
नाम-निर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु	नाम-निर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु

तारीख .....20..... स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

1. .....
   नाम.....
   पता.....
   .....

2. .....
   नाम.....
   पता.....
   .....

सदस्य के हस्ताक्षर.....
नाम.....
क्रम संख्या.....

टिप्पण:- सदस्य को सलाह दी जाती है कि यह उसके नाम-निर्देशती के हित में होगा कि नाम-निर्देशन पत्रों तथा संबंधित सूचनाओं और अभिस्वीकृतियों की प्रतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएं ताकि सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में वे हिताधिकारियों को प्राप्त हो सकें।

---

*दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

**अब निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ।

*[प्रपत्र 'च']

[देखिए नियम 18ख (2)]

लोक सभा/राज्य सभा के मृत सदस्य को शोध्य वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता यात्रा और दैनिक भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अन्य भत्ते तथा दावों की बकाया रकम लेने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रपत्र ।**

श्री .....अपनी मृत्यु के समय लोक सभा/(मृतक का नाम) राज्य सभा के सदस्य थे और उनको.....रुपये (रु0.....) की रकम (उनके उक्त पद की बाबत वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए) शोध्य थी और आबद्ध व्याक्ति.....

(दावेदार का नाम)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "दावेदार" कहा गया है) उक्त रकम की बाबत श्री.....

(मृतक का नाम)

के वारिस के रूप में उक्त रकम का हकदार होने का दावा करता है/करती हैं किन्तु उसमें उक्त श्री.....की संपति और चीजबस्त जिसके अन्तर्गत .....रुपये (रु0.....) (मृतक का नाम)
की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है और दावेदार ने लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय का समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त रकम का/की हकदार है और यह कि यदि दावेदार से उक्त श्री..... (मृतक का नाम)..... की संपत्ति और चीजबस्त की बाबत (जिसके अन्तर्गत.....रु0) (रु0.....) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पेश करने की अपेक्षा की जायेगी तो इसमें असम्यक विलम्ब और कष्ट होगा।

और लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय यह चाहता है कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय कर दिया जाए किन्तु इससे पहले कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय किया जाए वह एक प्रतिभू/दो प्रतिभुओं सहित एक बंधपत्र उन सभी दावों मद्दे जो लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय की क्षतिपूर्ति करने और उसे क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने के लिए हों, निष्पादित करे जो उक्त श्री.....को उपरोक्त रूप से शोध्य किया जाए।
(मृतक व्यक्ति का नाम)

इस विलेख से सब को ज्ञात हो कि मैं, ... (दावेदार का पूरा नाम और निवास स्थान का पता) (मृतक से संबंध कथित करें) और मैं/हम..... (प्रतिभू या प्रतिभुओं के पूरे नाम) जो उसकी ओर से प्रतिभू हैं, भारत के राष्ट्रपति के प्रति..... (रु0.....) की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए

---

* दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239 (ङ) द्वारा अंतःस्थापित ।

** अब निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ।

दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। इस रकम का संदाय पूर्णत: और सही रूप में करने के लिए हम में से प्रत्येक इस विधि द्वारा स्वयं को अपने वारिसों निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशियों को संयुक्तत: और पृथकत: दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते है:

परन्तु यह कि यदि दावेदार को.....रुपये (रु0.....) की उक्त रकम का संदाय कर दिया जाता है तो दावेदार या उसका/उसके प्रतिभू किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा (.....रुपये) (रु0.....) को पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की बाबत लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय के विरुद्ध दावा किए जाने की दशा में उक्त रकम या उसके ऐसे भाग का जिसका व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाए; संदाय करेंगे या करवायेंगे या लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय की, पूर्वोक्त रकम और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के परिणामस्वरूप उपगत खर्चे से संबंधित सभी दायित्वों से अन्यथा उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे और उसको हानिरहित रखेंगे तो उपरलिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत और बलशील बनी रहेगी।

उक्त लिखित बंधपत्र के साक्ष्यस्वरूप हम

साक्षी (1) (उपरलिखित नामित दावेदार)

साक्षी (2) (उपरलिखित नामित प्रतिभू)

साक्षी (3) (उपरलिखित नामित प्रतिभू)

ने आज तारीख.....20..... को इस पर अपने हस्ताक्षर किए है।

[एफ011/3/एम0एस0ए0/80]